संख्या: 57/667/2024-1811988/12-2099/87/2024

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2024

विषयः एफ0पी0ओ0 को विभिन्न योजनाओं एवं लाइसेन्सों से संतृप्तीकरण अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपर सचिव, भारत सरकार के पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2024 एवं पत्र दिनांक 17 मई, 2024 के क्रम में भारत सरकार की 10,000 एफ०पी०ओ० एवं "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" के अन्तर्गत गठित एफ०पी०ओ० तथा स्वनिर्मित एफ०पी०ओ० को इनपुट लाइसेन्स (खाद, बीज एवं कीटनाशी), जी0एस0टी0 लाइसेंस, मण्डी लाइसेन्स, एफ०एस०एस०आई० लाइसेन्स, मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म जैसे- ओ०एन०डी०सी, ई-नाम से जोड़ने हेतु आगामी 03 माह के लिए संतृप्तीकरण अभियान चलाया जायेगा।

वर्तमान में 10,000 एफ०पी०ओ० योजना व आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 3240 एफ०पी०ओ० यू०पी० शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कराये गये हैं। वित्तीय रूप से एफ०पी०ओ० को टिकाऊ बनाने के लिये विभिन्न हितधारकों (Stake holder) से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। पंजीकृत एफ०पी०ओ० को कृषि विभाग द्वारा निर्गत खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन के लाइसेन्स को प्राथमिकता के आधार पर तथा अन्य प्रकार के लाइसेन्स जैसे मण्डी लाइसेंस, एफ०एस०एस०आई० लाइसेंस, जी0एस0टी0 लाइसेंस एवं मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केट प्लेटफार्म जैसे ओ०एन०डी०सी०, ई-नाम से जोड़ने हेतु आगामी 03 माह के लिए मिशन मोड़ में अभियान चलाया जाएगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. संतृप्तीकरण अभियान कार्यवाही के आवश्यक बिन्दु –

1.1 समेकित कृषि वृद्धि प्राप्त करने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों का प्रमोशन तथा सुदृढ़ीकरण|

1.2 कृषक उत्पादक संगठनों हेतु पारदर्शी कृषि बाजार का निर्माण।

1.3 कृषक उत्पादक संगठनों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डर से अतिरिक्त हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान करना जिसमें इनपुट लाइसेन्स (खाद, बीज एवं कीटनाशी), मण्डी लाइसेन्स, जी०एस०टी० लाइसेन्स, एफ०एस०एस०आई० लाइसेन्स तथा मार्केट लिंकेज हेतु ओ०एन०डी०सी० प्लेटफार्म पर ऑन बोर्ड कराना आदि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.4 एफ0पी0ओ0 को **''इक्विटी ग्रांट''** प्रदान कर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं तथा बिजनेस गतिविधि हेतु सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय संस्थाओं से लोन/क्रेडिट प्राप्त करने हेतु सहायता करना तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु योजनाओं का कन्वर्जेन्स कराना।

2. इनपुट लाइसेन्स - इनपुट लाइसेन्स विहीन एफ0पी0ओ0 को 15 जुलाई, 2024 तक बीज, उर्वरक, कीटनाशी विक्रय लाइसेंस दिया जाना है। यदि एफ0पी0ओ0 को बीज लाइसेन्स प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन०एस०सी०) से फार्म "ओ" प्राप्त कर जिला कृषि अधिकारी को बीज लाइसेन्स हेतु आवेदन करना होगा ।

2.1 बीज लाइसेन्स

(i). जिला कृषि अधिकारी (DAO) - जिला स्तर पर बीज लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार|

(ii). उप कृषि निदेशक - जिला स्तर पर अभियान के दौरान बीज लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।

(iii). अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) - राज्य स्तर पर बीज लाइसेन्स प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे

2.2 एन०एस०सी० सीड डीलरशिप लाइसेन्स

(i). इच्छुक या पात्र एफ०पी०ओ० (कृषक उत्पादक संगठन) को बीज विक्रय डीलरशिप हेतु एन०एस०सी० से फार्म "ओ" प्राप्त करना होगा, जिसके लिए संबंधित क्षेत्र प्रबंधक से संपर्क करना होगा।

(ii). क्षेत्रीय प्रबन्धक (RM) - एन०एस०सी० बीज डीलरशिप लाइसेन्स जारी करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

2.3 उर्वरक लाइसेन्स

(i). जिला कृषि अधिकारी (DAO) - जिला स्तर पर उर्वरक लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ii). उप कृषि निदेशक - जिला स्तर पर एफ०पी०ओ० को उर्वरक लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्ट करेंगे।

(iii). संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) - संपूर्ण उर्वरक लाइसेन्स प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(iv). यदि एफ0पी0ओ0 सदस्यों के पास कृषि या रसायन विज्ञान में B.Sc योग्यता नहीं हैं, जो उर्वरक लाइसेन्स के लिए आवेदन करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, तो उन एफ०पी०ओ० की पहचान की जायेगी और उर्वरक विक्रय लाइसेन्स के लिए 'कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) योजना' के तहत सीमा, रहमानखेड़ा में प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। एक बार जब एफ०पी०ओ० सदस्य प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और अपना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो एफ०पी०ओ० उर्वरक लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2.4 कीटनाशक लाइसेन्स

(i). कृषि रक्षा अधिकारी (पीपीओ) - जिला स्तर पर कीटनाशक लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii). उप कृषि निदेशक - जिला स्तर पर एफ०पी०ओ० को कीटनाशक लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्ट करेंगे।

(iii). अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) - कीटनाशक लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(iv). यदि एफ०पी०ओ० सदस्यों के पास कृषि या रसायन विज्ञान में B.Sc योग्यता नहीं हैं, जो कीटनाशक लाइसेन्स के लिए आवेदन करने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है, तो उन एफ०पी०ओ० की पहचान की जायेगी और इनपुट डीलरों के लिए 'कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) योजना' के तहत सीमा, रहमानखेड़ा में प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। एक बार जब एफ०पी०ओ० सदस्य प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और अपना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो एफ०पी०ओ० कीटनाशी लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(v). हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) से कीटनाशी डीलरशिप लेने के इच्छुक एफ०पी०ओ० सभी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ एचआईएल के संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को अपना डीलरशिप आवेदन भेजेंगे ।

2.5 मंडी लाइसेन्स

एफपीओ को विभिन्न कृषि उपज की व्यापारिक गतिविधि करने के लिए मंडी लाइसेंस (जहां भी लागू हो) की आवश्यकता होती है।

(i). मंडी सचिव - जिला स्तर पर मंडी लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे|

(ii). उप निदेशक (प्रशासन) मण्डी - जिला स्तर पर एफ०पी०ओ० को मंडी लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।

(iii). सिस्टम एनालिस्ट, उ०प्र० मंडी परिषद, लखनऊ - लाइसेन्स प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और राज्य स्तर पर लाइसेन्स निर्गत करने की प्रगति की देखरेख करेंगे।

2.6 जी0एस0टी0 लाइसेन्स

चूंकि सभी एफ०पी०ओ० कंपनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाएं हैं और उन्हें अनिवार्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जीएसटी लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। कार्यदायी संस्थाएं एफपीओ को 15 जुलाई, 2024 तक जीएसटी लाइसेन्स के लिए आवेदन करायेंगे।

(i). सहायक आयुक्त, जीएसटी - जिला स्तर पर जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ii). उपायुक्त, जीएसटी - जिला स्तर पर एफ०पी०ओ० को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।

(iii). आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग - एफ०पी०ओ० को जीएसटी लाइसेंस प्रक्रिया के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और राज्य स्तर पर विकास प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.7 एफ०एस०एस०ए०आई० (FSSAI) लाइसेन्स

कई एफ0पी0ओ0 विभिन्न वस्तुओं के मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हैं। प्रसंस्कृत/ मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए एफ०एस०एस०ए०आई० (FSSAI) लाइसेन्स अनिवार्य है। सभी पात्र एफ०पी०ओ०, जो मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हैं, उन्हें 15 जुलाई, 2024 तक एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा।

(i). खाद्य निरीक्षक - जिला स्तर पर एफएसएसएआई लाइसेन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ii). सहायक खाद्य एवं रसद आयुक्त (राज्य लाइसेन्सिंग प्राधिकरण) - जिला स्तर पर सम्पूर्ण FSSAI लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे।

(iii). आयुक्त, खाद्य एवं रसद (राज्य लाइसेन्सिंग प्राधिकरण) - सम्पूर्ण FSSAI लाइसेन्सिंग प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और राज्य स्तर पर लाइसेंसिंग विकास प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।

उक्त अभियान मिशन मोड में आगामी 03 माह में संचालित किया जायेगा। राज्य सरकार तथा इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी (IAs)की उक्त अभियान में भूमिका निम्नवत् होगी:-

राज्य सरकार का दायित्व

अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार का निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगा :-

(i). राज्य स्तर पर समर्पित "कृषक उत्पादक संगठन सेल" गठित किया जायेगा।

(ii). एफ०पी०ओ० सेल अभियान की प्रगति रिपोर्ट एस०एफ०ए०सी० / एन०पी०एम०ए० को प्रेषित करेगा।

(iii). अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण एफ०पी०ओ० गठन सम्बन्धी कार्यदायी संस्थायें तथा उनके सी0बी0बी0ओ0 करेंगे।

(iv). एफ०पी०ओ० को प्रोत्साहित करने हेतु इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी के साथ शासन बैठक आयोजित करेगा।

(v). सरकार की मशीनरी की सहायता से सहक्रियात्मक (Synerigistically) रूप से कार्य करते हुए अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की जायेगी।

(vi). राज्य सलाहकार समिति (एस०एल०सी०सी०) तथा जनपद स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (डी०एम०सी०) अभियान के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।

एफ०पी०ओ० गठन करने वाली केन्द्रीय/ राज्य एजेन्सी के कार्य एवं दायित्व:-

(i). इम्पलीमेंटिंग एजेन्सियां उनके द्वारा गठित सभी एफ०पी०ओ० को विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

(ii). सभी इम्पलीमेंटिंग एजेन्सियों द्वारा अपने-अपने सी०बी०बी०ओ० को निर्देशित कर अभियान के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

(iii). सभी इम्पलीमेंटिंग एजेन्सियों को राज्य स्तरीय पर्यपेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धी बैठकों में प्रतिभाग करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv). सभी इम्पलीमेटिंग एजेन्सियाँ लाइसेन्स एवं कन्वर्जेन्स सम्बन्धी दिये गये लक्ष्यों को अपने-अपने फील्ड स्तरीय अधिकारियों को आवंटित करेंगे।

(v). जिन जनपदों में इम्पलीमेन्टिग एजेन्सी के अधिकारी तैनात नहीं हैं वहां उक्त अभियान में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की सहायता ली जायेगी ।

<u>कृषि विभाग के जनपदीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व</u>

(i). समस्त जनपदों में गठित किये गये एफ०पी०ओ० को अनिवार्य रूप से उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी लाइसेन्स कृषि विभाग के नामित मेन्टर (TAC) के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराकर लाइसेन्स निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्गत किये जायेंगे। उर्वरक एवं बीज लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला कृषि अधिकारी तथा कीटनाशी लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला कृषि रक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अन्य लाइसेन्स जैसे मण्डी, जी०एस०टी०, एफ०एस०एस०ए०आई० में आवेदन कराने एवं सम्बन्धित विभाग/संस्था से समन्वय के कार्य का उत्तरदायित्व जनपदीय उप कृषि निदेशक का होगा। जनपदीय उप कृषि निदेशक मार्केट लिंकेज हेतु ओ०एन०डी०सी० प्लेटफार्म एवं ई-नाम पोर्टल पर सभी एफ०पी०ओ० को ऑनबोर्ड कराने का कार्य भी करायेंगे। साथ ही राज्य एवं केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्स कराने में एफ०पी०ओ० की सहायता करेंगे।

(ii). साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिसमें लक्ष्य एवं प्रगति, डी०एम०सी० की बैठकें, कैम्पों का आयोजन, निर्गत कराये गये लाइसेन्स, विभिन्न योजनाओं से एफ०पी०ओ० का कन्वर्जेन्स इत्यादि की साप्ताहिक सूचना निर्धारित रूप पत्र पर संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन)/राज्य नोडल अधिकारी, एफ०पी०ओ० सेल को प्रेषित करेंगे ।

<u>उक्त अभियान हेतु निम्नलिखित टाइमलाइन भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है</u>:-

क्र० सं०	गतिविधि	समय अवधि	विवरण
1	राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक	10 से 14 जून, 2024	अभियान के सम्बन्ध में योजना तैयार करना तथा जिला स्तरीय मानीटरिंग कमेटी हेतु निर्देश जारी करना।
2	डी0एम0सी0 की बैठक (फेस-1)	17 से 21 जून, 2024	संतृप्तीकरण अभियान हेतु कार्यक्रम तैयार करना। सभी स्टेकहोल्डर को जैसे सरकारी एजेन्सी को संवेदनशील बनाना तथा वर्तमान लाइसेन्स सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के स्टेटस की समीक्षा करना ।
3	जनपदीय स्तरीय कैम्प का आयोजन (फेस-2)	17 से 28 जून, 2024	एक/दो दिवसीय कैम्पों का आयोजन, जिसमें सभी एफ०पी०ओ० के बोर्ड मेम्बर आमंत्रित किये जायेंगे, उन्हें केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। जिसमें बैंक लिंकेज भी सम्मिलित होगा। इस दौरान विभिन्न आवेदन पत्र भरे जायेंगे और उन्हें एकत्र किया जायेगा। तदोपरान्त जनपद स्तरीय समिति आवेदन पत्रों के अनुमोदन एवं स्वीकृति की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			निरन्तर समीक्षा करेगी। माह जुलाई में डी०एम०सी० की 02 बैठकें आयोजित होंगी ।
4	लाइसेन्स के अनुमोदन के उपरान्त जारी कर उनके वितरण हेतु कैम्प का आयोजन	01 से 14 अगस्त, 2024	सभी प्रकार के लाइसेन्स का अनुमोदन, स्वीकृति आर्डर/लेटर का वितरण इन कैम्पों में एफ०पी०ओ० को किया जायेगा। एस०एफ०ए०सी० (लघु कृषक एवं कृषि संघ), एन०पी०एम०ए० (राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेन्ट एसोसिएशन) उच्च स्तर पर उक्त अभियान की समन्वयक संस्था होगी। अभियान की प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। एस०एफ०ए०सी० द्वारा दी गयी वर्तमान प्रगति को बेसलाइन स्टेटस माना जायेगा जिसे अभियान के अन्तर्गत निर्धारित रूप पत्र पर पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन), उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ को उक्त अभियान का राज्य नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

उक्त अभियान की टाइमलाइन के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने का जनपद स्तर पर उत्तरदायित्व उप कृषि निदेशक एवं सम्बन्धित इम्पलीमेटिंग एजेंसी/विभाग का होगा।

उ0प्र0 में उक्त अभियान के राज्य नोडल अधिकारी अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन), कृषि भवन, लखनऊ होंगे। उनके द्वारा अभियान की संकलित रिपोर्ट एफ०पी०ओ० सेल की सहायता से टाइमलाइन के अनुसार कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

भवदीय,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 57 /667(1)/2024-1811988/12-2099/87/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रधान मुख्य आयुक्त, जी०एस०टी० विभाग, भारत सरकार, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7 निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, एस०एफ०ए०सी०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
13. प्रबन्ध निदेशक, एन०सी०डी०सी०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्ध निदेशक, एन०एस०सी०एल०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15. प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
16. तकनीकी समन्वयक, यूपीडास्प, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
17. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०एस०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
18. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय कार्यदायी संस्थाएं (एफपीओ), उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, राजय कार्यदायी संस्थाएं (एफपीओ), उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
23. राज्य नोडल अधिकारी/अपर कृषि निदेशक (दलहन एवं तिलहन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।